(148)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

श्री एस के श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 23-2-17 को प्रस्तुत

प्रकरण कमांक R-432-III/17 /2017 पुनरीक्षण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री राजाराम
2. सज्जनसिंह पुत्र श्री रूपसिंह यादव

निवासीगण– पाकरोड़, ईसागढ़,
जिला अशोक नगर, म0प्र0

--आवेदकगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति यादव
2. गुड्डीबाई पुत्री श्री राजाराम यादव
3. चम्पाबाई पुत्री श्री राजाराम यादव
4. कुंवरबाई पुत्री श्री राजाराम यादव
5. कलियाबाई पुत्री श्री राजाराम यादव

निवासीगण– पाकरोड़, ईसागढ़,
जिला अशोक नगर, म0प्र0

6. करईया बाई फोत वारिस

अ– भूरियाबाई नाबालिग पुत्री श्री बादामसिंह यादव

ब–रितेश नाबालिग पुत्र श्री बादामसिंह यादव निवासी– देवराई, अशोक नगर, म0प्र0

--अनावेदकगण

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश एवं कार्यवाही पत्रिका दिनांक 22/12/2016 20-1-17, 6-2-17, पारित द्वारा नायब तहसीलदार ईसागढ़, अशोक नगर, म0प्र0 के प्रकरण कमांक 6/अ–6/15–16 व उनवान अमरसिंह आदि बनाम जगदीश आदि।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय वृत्त सारसखेड़ी परगना ईसागढ़ के समक्ष अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा दिनांक 12/08/2016 को एक आवेदन–पत्र भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 एवं 32 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रकरण कमांक 6/अ–6/15–16 व उनवान अमरसिंह आदि बनाम जगदीश आदि पर दर्ज किया जाकर इस्तहार के प्रकाशन एवं अनावेदक को तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिनांक 29/08/2016 तिथि नियत की गई।
2. यहकि, प्रकरण में दिनांक 20/12/2016 तक अनावेदिका कमांक 4 कुंवरबाई की तामील हेतु तिथि नियत की जाती रही किन्तु तामील नहीं हुई एवं विधि के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 22/12/2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 732–दो/2017 जिला–अशोकनगर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा [illegible]कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायब तहसीलदार ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 06/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.12.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 13/05/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 13/5/19 **<u>कलेक्टर जिला अशोकनगर</u>**	